

प्वॉइंट टू प्वॉइंट उद्योग सहायता अतिरिक्त सहायता भुगतान

|  |
| --- |
| योजना अवलोकन |
| NSW सरकार इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि टैक्सी और किराया कार उद्योग NSW के अनेक भागों में प्वॉइंट टू प्वॉइंट सुधारों का पालन करने के दौरान किन-किन दबावों का सामना कर रहा है। साथ ही सरकार इन सुधारों से प्रभावित होने वाले लोगों, जैसे टैक्सी और किराया कार लाइसेंस धारकों को उद्योग समायोजन सहायता प्रदान कर रही है। |
| वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले उद्योग सहभागियों के लिए अब अतिरिक्त सहायता भुगतान योजना (AAPS) के माध्यम से $142 मिलियन तक की धनराशि उपलब्ध है। |
| AAPS सोमवार 2 जुलाई 2018 को खुला और सोमवार 1 अक्टूबर 2018 को बंद होगा। कोई भी विलंबित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। |
| AAPS के लिए आवेदन करने हेतु व्यक्ति को: |
| * टैक्सी या यात्री किराया वाहन उद्योग में शामिल होना चाहिए या उससे संबद्ध होना चाहिए, या |
| * दिनांक 28 जून 2016 को टैक्सी या यात्री किराया वाहन उद्योग में शामिल या उससे संबद्ध होना चाहिए (यह वह तिथि है जब नए प्वॉइंट टू प्वॉइंट परिवहन कानून के अंश शुरू हुए); और |
| * यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह टैक्सी और किराया वाहन उद्योगों के विनियमन में किए गए बदलावों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। |
| जो लोग 28 जून 2016 से पहले यह उद्योग छोड़ चुके हैं, वे अतिरिक्त सहायता भुगतान के लिए आवेदन करने हेतु योग्य नहीं हैं। |
| टैक्सी और किराया वाहन उद्योग सहायता पैनल (पैनल) ने उद्योग के उन विशेष खंडों की पहचान कर ली है जो प्वॉइंट टू प्वॉइंट परिवहन सुधारों से संभावित रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और जिन्हें आर्थिक कठिनाई से ग्रस्त होने का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है।  **Transport for NSW Tel:** 1300 639 074 **Fax:** 02 6841 4816  Locked Bag 17, Dubbo NSW 2830 E: industryassistance@transport.nsw.gov.au |
| इन समूहों में शामिल हैं: |
| * ऐसे टैक्सी लाइसेंस धारक, जिनके ऊपर अपने लाइसेंस से सीधे तौर पर जुड़ा भारी ऋण है, जो संभवतः उन्होंने अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर लिया था और वे अपने लाइसेंस या आय के अन्य स्रोतों से अपना ऋण नहीं चुका पाएंगे। |
| * ऐसे टैक्सी लाइसेंस धारक जो अपनी दैनिक आजीविका के खर्चों के लिए टैक्सी लाइसेंस से होने वाली अपनी आय पर निर्भर करते हैं। |
| पैनल ने यह भी नोट किया है कि यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि जिन व्यक्तियों या घर-परिवारों की आय और कुल परिसंपत्ति पार्ट एज पेंशन के लिए पात्रता सीमा (राष्ट्रमंडल के मानव सेवाएँ विभाग द्वारा निर्धारित) से कम है या इसी के आस-पास है, वे इन सुधारों के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक कठिनाई से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। एज पेंशन के लिए पात्रता सीमा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/age-pension/eligibility-payment-rates पर जाएँ। |
| आवेदन कैसे करें |
| सभी आवेदन-पत्र अनुमोदित फ़ॉर्म में आवेदन अवधि के दौरान जमा किए जाने चाहिए, और इसमें बताए गए अनुसार जानकारी और सहायक दस्तावेज़ दिए जाने चाहिए। आवेदन-पत्र में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए। आवेदन-पत्र के समर्थन में दिए गए सभी दस्तावेज़ और साक्ष्य Transport for NSW द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने चाहिए। |
| व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन में उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही और सटीक है। यदि कोई व्यक्ति गलत या जानबूझकर गुमराह करने वाली जानकारी प्रदान करता है, तो उसे अतिरिक्त सहायता भुगतान पाने के लिए अयोग्य निर्धारित किया जाएगा और वह Transport for NSW द्वारा अभियोजन के अधीन होगा। आवेदनों में दी गई जानकारी की लेखा-परीक्षा की जा सकती है। |
| ऐसे आवेदन-पत्र जो पूरे न किए गए हों या जिनके साथ सही तरीके से प्रमाणित जानकारी और साक्ष्य न दिए गए हों, उन्हें अतिरिक्त सहायता भुगतान के योग्य नहीं माना जाएगा। |
| पैनल सभी आवेदनों पर विचार करेगा और ऐसे आवेदनों की पहचान करेगा जो अतिरिक्त सहायता भुगतान की सबसे अधिक आवश्यकता दर्शाते हैं। उसके बाद पैनल परिवहन और ढाँचागत-सुविधा मंत्री के पास सिफारिश करेगा, जो भुगतानों के बारे में अंतिम निर्णय लेंगे। |
| सभी आवेदनों का आकलन और निर्णय पूरा हो जाने के बाद अतिरिक्त सहायता भुगतान दिसंबर 2018 के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगे। |
| यह नोट करना आवश्यक है कि अतिरिक्त सहायता भुगतान का लक्ष्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है, न कि टैक्सी लाइसेंस मूल्यों में आई किसी भी गिरावट का मुआवज़ा देना है। |
| आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि आवेदक अपने दावों के समर्थन में उल्लेखनीय मात्रा में अपनी निजी और वित्तीय जानकारी साक्ष्य के साथ प्रदान करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि व्यक्ति की कानूनी सुधारों से पहले और बाद की वित्तीय स्थिति का सटीक आकलन लगाया जा सके, और यह पता चल सकता है कि क्या सुधारों ने सीधे ही व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और आर्थिक कठिनाई पैदा की है। |
| इस बात के लिए पुरजोर सिफारिश की जाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को आवेदन के योग्य समझते हैं, वे संबंधित सहायक सामग्री पढ़ें, आवेदन पोर्टल या प्रपत्रों का अवलोकन करें, और आवेदन-पत्र जमा करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज एकत्र करें। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, आवेदन-पत्र पूरा करना उतना ही आसान होगा। |
| आवेदकों को स्वयं वित्तीय और कर संबंधी परामर्श लेना चाहिए ताकि वे यह तय कर सकें कि क्या अतिरिक्त सहायता भुगतान से उनके वर्तमान अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। |

|  |
| --- |
| और अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है:  Transport for NSW वेबसाइट पर - [www.transport.nsw.gov.au/industryassistance](http://www.transport.nsw.gov.au/industryassistance)  ईमेल - [industryassistance@transport.nsw.gov.au](mailto:industryassistance@transport.nsw.gov.au)  फोन - 1300 639 074 |